

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 सितम्बर 2013—भाद्र 19, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. 8045-251-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 सितम्बर 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २९ सन् २०१३

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३

[दिनांक ७ सितम्बर, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १० सितम्बर, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

धारा ६१-च का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ६१-च में उपधारा (१), (२) और (३) को क्रमशः उपधारा (२), (३) और (४) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (२) के पूर्व निम्नलिखित नई उपधारा अंतः स्थापित की जाए, अर्थात्:—

परिभाषाएं.

“(१) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) की धारा ६ के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अंतरणों या अंतरण के करार के ब्यौरे, प्रत्येक माह की समाप्ति पर, विहित प्राधिकारी को ऐसी रीति में संसूचित करेगा, जैसा कि विहित की जाए.”

भोपाल, दिनांक १० सितम्बर २०१३

क्र. ८०४६-२५१-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३ (क्रमांक २९ सन् २०१३) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT NO. 29 OF 2013

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

[Received the assent of the Governor on the 7th September, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th September, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

2. In Section 61-F of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), sub-sections (1), (2) and (3) shall be renumbered as sub-sections (2), (3) and (4) respectively and before sub-section (2) as so renumbered, the following new sub-section shall be inserted, namely :—

**Amendment of
Section 61-F.**

“(1) The Registrars and Sub-Registrars appointed under Section 6 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) shall, at the end of every month, communicate details of all transfers or agreements to transfer of Plots or houses in the Gram Panchayat area to the prescribed authority in such manner as may be prescribed.”.